



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1499

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19444 वर्ष 2025

अंशुल कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	: आर्य गौतम, अतिप्रिया गौतम, वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अतिप्रिया गौतम का पक्ष प्रस्तुत करते हुए श्री विनोद कुमार मिश्रा ने आदेश दिनांक 20.01.2023 को प्रश्नगत करते हुए वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने और अपील दायर करने की मांग की है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

6 जनवरी 2026

राजेश